भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित **प्रश्न संख्या 340**
दिनांक 22.07.2025 को उत्तरार्थ

सभी पंचायतों को कंप्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव

340 . श्रीमती मंजू शर्माः :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ग्राम पंचायतों में पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार सभी पंचायतों को कम्प्यूटरीकृत करने तथा सेवाओं का ऑनलाइन प्रावधान करने का है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;
(घ) क्या कम्प्यूटरीकरण पहलों में नवीनतम प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर/इंटरनेट संपर्क शामिल है और इन्हें बदलते सॉफ्टवेयर के अनुरूप समय-समय पर उन्नत किया जा रहा है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो एस. पी सिंह बघेल)

(क) संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्थानीय स्वशासन और ग्राम प्रशासन राज्य का विषय होने के कारण, पंचायतों में कम्प्यूटरीकरण सहित बुनियादी ढांचे के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की है। हालाँकि, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, पंचायती राज मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ, सीमित पैमाने पर पंचायतों के बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों में पूरक के रूप में कार्य करता है। इस योजना के तहत, मंत्रालय पंचायतों के भीतर प्रमुख बुनियादी ढांचे के अवयव के लिए सहायता प्रदान करता है, जिसमें पंचायत भवन, कॉमन सर्विस सेंटर का सह-स्थानिकरण और कंप्यूटर और बाह्य उपकरण शामिल हैं। राज्य सरकार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 15वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग (SFC), स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व (OSR), तथा ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध अन्य संसाधन, ताकि वे अपनी बुनियादी ढांचे संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय राज्यों और पंचायतों को प्रोत्साहित करता है कि वे इन निधियों का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न बुनियादी ढांचा योजनाओं के साथ समन्वय (कन्वर्जेंस) कर के करें।

(ख) से (ड.) मंत्रालय पंचायतों के निवासियों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन करता है। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के इ –एनब्लेमेंट घटक के तहत पंचायतों के कंप्यूटरीकरण हेतु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को, पिछले वर्षों की शेष राशि सहित, कुल ₹520.66 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

डिजिटल गवर्नेंस में सुधार के प्रयास में, मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर योजना प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में eGramSwaraj नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। यह ऑनलाइन मोड में वार्षिक विकास योजनाओं की तैयारी के लिए एक व्यापक कार्य-आधारित एप्लिकेशन है, जो सूचना और दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से बढ़ी हुई पारदर्शिता, वित्तीय प्रबंधन, रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करके बेहतर जवाबदेही और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर बढ़ी हुई दक्षता प्रदान करता है। हर साल 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजना प्रक्रिया के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत जैसे एप्लिकेशन ने पंचायत में योजना, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी को जनता तक पहुंचाकर पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार, ऑडिट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के परिणामस्वरूप 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित धनराशि के व्यय का ऑडिट किए जातें हैं।

पंचायतों के लिए प्रौद्योगिकी/इंटरनेट को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध, मंत्रालय ने सभी ग्राम पंचायतों के लिए सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करने के लिए डिजिटल इंडिया, भारतनेट परियोजना को लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ सहयोग किया है। इस पहल ने उन्नत ई-गवर्नेंस और बेहतर ऑनलाइन सेवा वितरण के द्वार खोल दिए हैं।

*****